न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 275/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/411

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अध्यक्ष श्री रावल मल्लीनाथ श्री राणी रूपादे संस्थान मालाजाल तहसील पचपदरा		1.खेतनाथ पुत्र पदमनाथ 2.चंद्रादेवी पत्नि सुंदरनाथ के वारिसान 3.दीननाथ पुत्र सुंदरनाथ 4.घरमनाथ पुत्र सुंदरनाथ 5.मनोहरनाथ पुत्र सुंदरनाथ 6.राजूनाथ पुत्र सुंदरनाथ 7.संतोष पुत्री चन्द्रनाथ 8.शंकरनाथ पुत्र शिवनाथ 8/1.कैलाशनाथ पुत्र शंकरनाथ जाति स्वामी निवासी सुमन आईस केड़ी पुरोहितो का वास सिवाना 8/2.मन्जू पुत्री शंकरनाथ पत्नि प्रेम भारती जाति स्वामी निवासी सिरियादे मंदिर के पास भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालौर 8/3.किरण पुत्री शंकरनाथ पत्नि राजेन्द्रनाथ जाति स्वामी निवासी राय कोलानी बाड़मेर 8/4.पप्पु पुत्री शंकरनाथ पत्नि कैलाशनाथ जाति स्वामी निवासी अम्बिका टायर रामली तहसील रामली जिला हिम्मतनगर 8/5.संतोष पुत्री शंकरनाथ जाति स्वामी निवासी मैन बस स्टेण्ड इण्डर जिला हिम्मतनगर 9. सरियादेवी पत्नि पदमनाथ जाति स्वामी 10. सोमनाथ पुत्र पदमनाथ जाति स्वामी निवासी थान मल्लीनाथ तहसील पचपदरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 7,8/1 से 8/3,8/5,10
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8/4 एकपक्षीय
4. विप्रार्थी संख्या 11 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 20/06/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थान मल्लीनाथ तहसील पचपदरा के पर्चा नजवीज लगान रजिस्टर नम्बर 74 के पर्चा नम्बर 04 में एवं खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 तक खाता नम्बर 01 में खसरा संख्या 11 रकबा 5.14 बीघा व खसरा संख्या 16 रकबा 22.08 बीघा कुल रकबा 28.02 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ वाके देह एतमाम पुजारी शंकरनाथ पुत्र शिवनाथ हिस्सा 1/3,पदमनाथ पुत्र लिछमीनाथ हिस्सा 1/3 व सुदरनाथ पुत्र चमननाथ हिस्सा 1/3 कौम स्वामी साद दर्ज हुआ था। जो डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ वाके देह की भूमि है। प्रार्थी अध्यक्ष श्री रावल मल्लीनाथ श्री राणी रूपादे संस्थान मालाजाल द्वारा डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ जी वाके देह गांव थान मल्लीनाथजी को अपने ट्रस्ट द्वारा देखरेख व सार संभाल की जा रही है। हाल में ही विवादित आराजी की जमाबंदी नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी में डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ जी वाके देह प्रविष्टि को विलोपित करते हुए विप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो रखी है,उक्त अवैध तरीके से जमाबंदी में प्रविष्टि अंकन की गई है,लेकिन अनुचित तौर पर प्रविष्टि को नाजायाज फायदा उठाकर विप्रार्थी विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में विप्रार्थी की अवैध प्रविष्टि को विलोपित करते हुए डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथजी वाके देह राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस एवं दैनिक अखबार में नोटिस छांयाकन कर तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 7,8/1 से 8/3,8/5,10 की ओर से वकालतनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कर प्रार्थी के आवेदन तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8/4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 11 को जवाब पेश के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने जवाब बन्द किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 11 अनुपस्थित रहें।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम थान मल्लीनाथ तहसील पचपदरा के पर्चा नजवीज लगान रजिस्टर नम्बर 74 के पर्चा नम्बर 04 में एवं खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 तक खाता नम्बर 01 में खसरा संख्या 11 रकबा 5.14 बीघा व खसरा संख्या 16 रकबा 22.08 बीघा कुल रकबा 28.02 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ वाके देह एतमाम पुजारी शंकरनाथ पुत्र शिवनाथ हिस्सा 1/3,पदमनाथ पुत्र लिछमीनाथ हिस्सा 1/3 व सुदरनाथ पुत्र चमननाथ हिस्सा 1/3 कौम स्वामी साद दर्ज हुआ था। जो डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ वाके देह की भूमि है। प्रार्थी अध्यक्ष श्री रावल मल्लीनाथ श्री राणी रूपादे संस्थान मालाजाल द्वारा डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ जी वाके देह गांव थान मल्लीनाथजी को अपने ट्रस्ट द्वारा देखरेख व सार संभाल की जा रही है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी के रेकर्ड में डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथजी वाके देह नाम प्रविष्टि विलोपित करते हुए पुजारी विप्रार्थी की खातेदारी दर्ज हो रखी है। जबकि डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथ वाके देह का नाम किस आधार पर हटाया गया है,ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है एंव न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश/निर्णय/फैसला नही किया गया है एवं न ही खतौनी पर कहीं स्पष्ट किया गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी की प्रविष्टि विलोपित किए जाने का कोई आधार नहीं होने के उपंरात भी प्रार्थी को क्षति हो रही है। विप्रार्थी द्वारा रेकर्ड में अवैध प्रविष्टि के आधार पर विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है,यदि इसमे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया गया कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःपी.2(4)राज–4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अंतर्गत मंदिर माफी/देव मूर्ति की भूमिया मंदिर के खाता में रखने एवं मंदिर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेशार्थ श्रीमान न्यायालय को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

13.12.1991 के संदर्भ में क्रमांक 3 (2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.9.2018 के आदेश मुताबिक देव मूर्ति की भूमिया में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग में देव मूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे तथा एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियो के संबध में तहसील स्तर पर रखा जावें। जिन मंदिरो के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियो के नाम अंकन किया जावे,जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है। उनके देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है,वहां पुजारी का नाम विलोपित किया जावें तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे। इस प्रकार पूरी तरह स्पष्ट है कि विवादित आरी में विप्रार्थी के नाम की प्रविष्टि अवैध रूप से दर्ज की गई है,जो जमाबंदी में विलोपित की जानी आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में विप्रार्थी की राजस्व रेकर्ड में अवैध प्रविष्टि को विलोपित करते हुए डोली बनाम मंदिर श्री मल्लीनाथजी वाके देह राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किए जाने के आदेश किए जावें। अपनी बहस के समर्थन में 2012(1) आर.आर.टी. पृष्ठ 868,2013(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1431, 2013(2)आर.आर.टी.1434,2013(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1177 ,2013(2) आर.आर.टी.1114, 2013 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 764 व 2013(1) आर.आर.टी. 409 के न्यायिक द्वष्टांत पेश किए गए।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन लाया गया है। जिसमें सफलता मिलने की कोई गुजाईश नहीं है,क्योकि वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्तकार के तौर पर मालिक रहता है,पुजारी की हैसियत से मालिक नही रहता है,इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यो पर झूठा व गलत पेश किया है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकःपी.2(4) राज–4/98/37 दिनांक 13.12.1997 का बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में तय नही किया जा सकता है,यह बिन्दू वाद में ही तय किया जा सकता है। आवेदन/प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। विप्रार्थी खेतनाथ द्वारा श्री चैलनाथ पुत्र पदमनाथ को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख 1/3 हिस्सा बेचान किया जा चुका है,उक्त दस्तावेज की वैधता को सुनने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन श्री न्यायालय में चलने योग्य है। प्रार्थी की ओर से केवलमात्र विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। आवेदन पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है। प्रार्थी का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतो का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि रजिस्टर नम्बर 74 पर्चा नम्बर 04 पर्चा नजवीज लगान मौजा थान मलीनाथजी तहसील पचपदरा पटटा ठिकाना जसोल जिला बाड़मेर के कॉलम संख्या 01 में डोली बनाम मंदिर श्री मलीनाथजी महाराज वाके देह एतमाम पुजारी शंकरनाथ वल्द शिवनाथ हिस्सा 1/3,पदमनाथ वल्द लिछमणनाथ हिस्सा 1/3,सुन्दरनाथ वल्द चन्दनाथ हिस्सा 1/3 कौम स्वामी सा.देह डोलीदार खुदकाश्त दर्ज है। इसी प्रकार विवादित आराजी ग्राम थान मलीनाथजी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 11 व 16 की खतौनी बदोबस्त संवत 2012 से 2031 में भी कालॅम संख्या 03 में डोली बनाम मंदिर श्री मलीनाथजी महाराज वाके देह एतमाम पुजारी शंकरनाथ वल्द शिवनाथ हिस्सा 1/3,पदमनाथ वल्द लिछमणनाथ हिस्सा 1/3,सुन्दरनाथ वल्द चन्दनाथ हिस्सा 1/3 कौम स्वामी सा.देह व कालॅम संख्या 04 में खुदकाश्त दर्ज है। जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) संवत 2079 से 2082 तक में विप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज हो रखी है,जो कि विप्रार्थीगण की खातेदारी विधि विरूद्व दर्ज की गई है,क्योकि वक्त सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 में विवादित आराजी डोली बनाम मंदिर श्री मलीनाथजी महाराज वाके देह एतमाम पुजारी के नाम दर्ज थी तथा उसके बाद मंदिर की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए पुजारी की खातेदारी में दर्ज करने की प्रविष्टि अपने आपमें विधि विरूद्व है,क्योकि विवादित आराजी मन्दिर की खुदकाश्त भूमि थी–बिना किसी आदेश के भूमि पुजारी के नाम दर्ज की–मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और खुदकाश्त भूमि पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किए जा सकते है। इस प्रकार पुजारी का नाम गलत दर्ज किया गया है,जो रेकर्ड में विलोपित किए जाने योग्य है। इसी प्रकार विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया गया कि विप्रार्थी संख्या 01 खेतनाथ द्वारा श्री चेलनाथ पुत्र पदमनाथ को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख 1/3 हिस्सा का बेचान कर दिया गया है,उक्त बेचानपत्र की वैधता को सुनने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को नहीं है। उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योकि मन्दिर मूर्ति भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बेचान करने का विप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं था,क्योकि मन्दिर मूर्ति डोली बनाम श्री मलीनाथजी शाश्वत नाबालिग के हको के विरूद्व प्रारम्भ से ही शून्य है और ऐसे शून्य विक्रयपत्र के आधार पर क्रेतागण को किसी प्रकार के अधिकार नही मिलते है। इस प्रकार दस्तावेजात से साबित है कि विवादित आराजी मन्दिर मूर्ति की भूमि है,जिसे धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संरक्षित श्रेणी का काश्तकार माना गया है जैसा कि दुर्गालाल बनाम मन्दिर श्री शनिश्चरजी महाराज के प्रकरण –1984 आर.आर.टी.1(एल.बी) में और श्री शिवराम बनाम श्री मिश्रू के प्रकरण 1987 आर.आर.डी.261 (एल.बी.) में प्रतिपादित किया गया है कि शाश्वत नाबालिग मूर्ति मन्दिर की भूमि में पुजारी अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है और ना ही ऐसी भूमि का किसी को अन्तरण ही किया जा सकता है। इस प्रकार पत्रालवी पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि रही है एवं किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के बिना पुजारी के खातेदारी में दर्ज की गई है,जो अनुचित एवं अवैधानिक है,क्योकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है तथा मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि पर पुजारी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में पुजारी के नाम खातेदारी का किया गया अंकन अवैध होकर निरस्त योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टांत 2012(1) आर.आर.टी. पृष्ठ 868, 2013(2) आर.आर.टी.पृष्ठ 1431, 2013(2)आर.आर.टी.1434, 2013(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1177, 2013(2)आर.आर.टी.1114, 2013(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 764 व 2013(1)आर.आर.टी. 409 हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होते है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि हस्तगत प्रकरण मन्दिर मूर्ति से सम्बन्धित होकर लोकनीति व सार्वजनिक हित का प्रकरण होने के कारण प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–थान मल्लीनाथ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 11 व 16 कुल क्षेत्रफल 4.5487 हैक्टयर भूमि में विप्रार्थीगण की खातेदारी प्रविष्टि को विलोपित करते हुए विवादित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि को पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री मलीनाथजी वाके देह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

20/06/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/06/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

20/06/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा